1/6/22 पत्रावली श्रीमती सुनवाई के प्रार्थना पत्र के साथ आज पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित हैं। बहस वाद पत्र सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 30/6/22 को पेश हो।

30.6.22 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित हैं। वकील वादी ने अपनी बहस में वाद पत्र मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि करबा नैनवां द्वितीय तहसील नैनवां की खाता सं. 122 की खसरा सं. 273 रकबा 3.2198 हेक्टेयर भूमि में खान व मांग्या का 1/2-1/2 हिस्सा निहीत है। खातेदार खाना के

Signature Not Verified

Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2023.03.20 12:22:13 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

ारीख ुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

कोई सुरभी संतान नही होने से खाना ने अपने भाई गोरधन के पुत्र वादी प्रहलाद को बाल्यावस्था मे ही वादी प्रहलाद के प्राकृतिक माता भूरी व पिता गोरधन से गोद लेना जाहिर किया था जिस पर वादी के प्राकृतिक माता पिता सहमत हो गए थे तथा खाना ने वादी को गोद लेने के लिए समस्त जाति समाज के व्यक्तियों के समक्ष विधि-विधान से गोद लेने की रस्म अदा करते हुए गोदपुत्र स्वीकार कर लिया था। तब से खाना के पास ही वादी प्रहलाद रह रहा था तथा खाना ने ही वादी प्रहलाद का लालन-पालन व शादी ब्याह आदि करवाया था। खाना की मृत्यु होने पर वादी प्रहलाद ने ही समस्त क्रियाक्रम समाज के रस्मों रिवाज के मुताबिक सम्पन्न करवाए थे। तब से वादी खाना के 1/2 हिस्से पर काबिज होकर कृषि काश्त करता चला आ रहा है। यह कि प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 वादी के वृद्ध व कमजोर व्यक्ति होने से वादी को डरा धमकाकर जबरन वादी के हिस्से की भूमि को छीनना चाहते है, यह वाद का कारण है। अतः वादी को मृतक खाना का गोद पुत्र होने व एक मात्र वारिस होने से खाना के स्थान पर 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाने हेतु निवेदन किया। [illegible] ने अपने वाद के समर्थन [illegible], नकल नक्शा [illegible] खाना, पंचनामा दिनांक 5.[illegible].22 एवं अन्य दस्तावेज पेश किये। तथा रतना एवं आशाराम गवाह के रूप मे पेश किये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2023.03.20 12:22:13 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamSca

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम हुक्म की में जारी
	प्रतिवादीगण 1 लगायत 4 ने इकबाली जवाब दावा प्रस्तुत कर वादी का वाद याचना के अनुसार डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।	
	हमने वाद-पत्र, शपथ-पत्र, प्रस्तुत रिकार्ड दस्तावेज तथा जवाब प्रतिवादीगण का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। बहस सुनी गई। वादी द्वारा प्रस्तुत पंचनामा दिनांक 5-3-2022 का प्रस्तुत किया है जिसमें दत्तकग्रहिता के हस्ताक्षर नहीं है। पंचनामा के आधार पत्र गोदपुत्र घोषित किये जाने का अधिकार इस न्यायालय को नहीं है। रजिस्टर्ड गोदनामा के अभाव में वादी द्वारा स्वयं को गोदपुत्र साबित करने के लिए सक्षम न्यायालय में नियमानुसार वाद प्रस्तुत कर अनुतोष प्राप्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। वादपत्र के जवाब मे इकबाली जवाब से वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य किसी प्रकार का विवाद प्रकट नहीं होने से इस वादपत्र में वादकरण का प्रयोजन भी सिद्ध नहीं होता है। रजिस्टर्ड गोदनामा के अभाव में वादी का वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः वादी का वाद खारिज किया जाता है तथा वादी को [illegible] दी जाती है कि सक्षम न्यायालय में [illegible] घोषित करवाने [illegible] वाद [illegible] कर अनुतोष प्राप्त [illegible] निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।	
	उपखण्ड अधिकारी नैनवाँ (बूंदी)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2023.03.20 10:22:13 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner